पत्र सं0-स्था0-6-सामान्य निर्देश (132) भाग-3/2021-22/ 118 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 09 अप्रैल, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी/सेवानिवृत्त यथा (ए0सी0पी0/वेतन निर्धारण/पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण/जी0पी0एफ0 आदि) प्रकरणों का निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण न होने की स्थिति में उनके द्वारा मुख्यालय को अनावश्यक रुप से पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि लम्बित प्रकरणों का परीक्षण एवं तत्काल निस्तारण कराये जाने हेतु जोन स्तर पर किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दें। नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सक्षम अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके उसका नियमानुसार निस्तारण कराया जायेगा। लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना ई-मेल आई0डी0 (commissioner_commercial@rediffmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नामित नोडल अधिकारी की सूचना से मुख्यालय को अवगत करायें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा लम्बित प्रकरणों की सूचना निर्धारित प्रारुप में तत्काल उपलब्ध करायें।

::प्रारुप::

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	लम्बित सेवा सम्बन्धी प्रकरण			पेंशन	ग्रेच्युटी	राशिकरण	जी0पी0एफ0	अन्य प्रकरण
		ए0सी0पी0	समयमान वेतनमान	वेतन निर्धारण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8/4/2021
(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कमिश्नर(कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

08/04/2021
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।